

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2158/2012/जयपुर

अपील संख्या 2159/2012/जयपुर

अपील संख्या 2160/2012/जयपुर

अपील संख्या 2161/2012/जयपुर

सहायक आयुक्त

प्रतिकरापवंचन जोन-द्वितीय, जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स पैराडाइज इन्वेस्टमेन्ट

सी-61, सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

श्री अलकेश शर्मा

अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 25.08.2014

निर्णय

ये चारों अपीलें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जो-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त (अपील्स)द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 178, 179, 180 एवं 181/अपील्स-11/आरवीएटी/जयपुर/बी/2011-12 में पारित संयुक्तादेश दिनांक 30.08.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। उपरोक्त चारों में अपीलों में प्रत्यर्थी व्यवहारी एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ चारों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रूप से रखी जायें।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के आलोच्य वर्ष 2007-07 से 2009-10 तक के कर निर्धारण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 24(6) सपटित धारा 26, 61 एवं 55 के अन्तर्गत के अन्तर्गत पृथक-पृथक आदेश दिनांक 05.07.2012 को पारित करते हुए कर, ब्याज एवं शास्तियों निम्न तालिका के अनुसार पारित की :-

अपील संख्या	कर.नि.अवधि	कर	ब्याज	शास्ति धारा 61
2158/12	2006-07	13,421/-	8109/-	26,842/-
2159/12	2007-08	73,827/-	35,375/-	1,47,654/-
2160/12	2008-09	76,653/-	27,148/-	1,53,306/-
2160/12	2009-10	70,427/-	11,663/-	1,40,754/-

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तालिका के अनुसार आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें

प्रस्तुत की गई, जिनके गुणवगुण पर विचार करने के पश्चात अपीलीय अधिकारी ने आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त कर अपीलाधीन संयुक्तादेश दिनांक 30.08.2012 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त चारों अपीलें प्रस्तुत की हैं।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए विधि विरुद्ध संयुक्तादेश दिनांक 30.8.2012 पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है, जो प्रकरण के तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टि से अविधिक है। उनका कथन है कि प्रत्यथी व्यवहारी द्वारा फर्नीचर, टेलीफोन्स, टेलीफोन एक्सचेन्ज, इक्यूपमेन्ट्स एवं किचन गुडस आदि वस्तुएं लीज पर उपलब्ध करवायी गयी है जो चल सम्पत्ति की श्रेणी में आती है, जिन पर कर देयता होने के बावजूद कर अदा नहीं किया गया है, इसलिए कर एवं ब्याज आरोपण के साथ ही अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्तियाँ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित की गयी है, जो विधिक होने के बावजूद विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपास्त की हैं, जिनको बहाल करने का निवेदन किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कथन किया गया कि अपीलार्थी ने विवादित समस्त संब्यवहार को नियमित लेखा पुस्तकों में घोषित कर बिक्री विवरण प्रपत्रों में दर्शाया हुआ है तथा उनको किसी प्रकार छिपाया नहीं है, इसलिए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्तियाँ आरोपित करना अविधिक है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु एवं अन्य (2009) 23 वी एस टी 249 को उद्धृत किया। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों एवं उक्त न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है, जो विधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में की गई बिक्री को वैट-10 में घोषित नहीं करने के कारण उसके द्वारा करापवंचन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 61 के




अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्तियों आरोपित की हैं। किन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा घोषित चल सम्पत्ति के सामानों की कीमत के आधार पर आलोच्य अवधियों में आनुपातिक आधार पर चल सम्पत्ति पर प्राप्त लीज राशि पर कर एवं ब्याज आरोपित किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कोई संव्यवहार छुपाया नहीं गया है। उक्त तथ्यों के होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु एवं अन्य (2009) 23 वी एस टी 249 में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपण को अविधिक माना गया है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त का सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

"....So far as the question of penalty in concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellants account book. Where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealers own accout books and the assessing authorities include these items in the dealers turnover disallowing the exemption, penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

माननीय न्यायालयों का निरन्तर यह मत रहा है कि समस्त क्रय-विक्रय प्रार्थी व्यवहारी की लेखा-पुस्तकों में पूर्णतः इन्द्राजित है, तो वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति करना उचित नहीं है। हस्तगत अपीलों के रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरणों में समस्त क्रय-विक्रय व्यवहारी की लेखा-पुस्तकों में पूर्णतः इन्द्राजित है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित मत के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों अपास्त योग्य है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है। फलतः अपीलाधीन संयुक्तादेश दिनांक 30.08.2012 को यथावत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी के ओर से प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य